न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बौली जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– बद्री नारायण मीना आर ए एस

वाद पत्र संख्या 224/16

1. तेजसिंह पुत्र उम्मेद सिंह
2. जगदीश सिंह पुत्र उम्मेद सिंह
3. लक्ष्मीकंवर पुत्री उम्मेद सिंह
4. संतोष कंवर पुत्री उम्मेद सिंह
5. पार्वती पत्नि उम्मेद सिंह
6. प्रहलाद सिंह पुत्र उम्मेद सिंह

जाति राजपूत निवासी मानपुर तहसील बौली जिला स.मा.

..... वादीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र गोरी लाल मीना
2. लडडू राम पुत्र परसराम मीना
3. रत्तीराम पुत्र कल्याण मीना
4. हरसहाय पुत्र मोहन लाल मीना
5. बजरंग लाल पुत्र सुखदेवा मीना
6. प्रभू पुत्र हरनारायण मीना
7. रमेश पुत्र भौरी लाल मीना
8. कैलाश पुत्र गोरी लाल मीना
9. रामराज पुत्र भौरी लाल मीना
10. रामेश्वर पुत्र दीपनारायण पुजारी
11. जगदीश पुत्र दीपनारायण पुजारी
12. कजोड पुत्र मूलचंद लुहार
13. प्रताप सिंह पुत्र बहादुर सिंह राजपुत
    निवासी समस्त ग्राम मानपुर तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर
14. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बौली जिला सवाई माधोपुर राज.

.... प्रतिवादीगण

वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा
एवं हटाये जाने कच्चा पक्का निर्माण

उपस्थित– श्री राजेश कुमार कुर्मी एडवोकेट वादीगण की और से
श्री वी.पी.सिंह राजावत एडवोकेट प्रतिवादी सं.1 ल.13 की और से

उप जिला कलेक्टर
बौली जिला सवाई माधोपुर

आदेश

दिनांक.....

वादीगण की ओर से यह दावा इस अमर का पेश किया कि वादीगण की मुताबिक जमावंदी संवत 2069-2072 खाता संख्या 4 के अनुसार ख.नं.2.9/407 रकबा 0.03 है, 271 रकबा 1.01 है. 337 रकबा 0.05 हैक्टैयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.09 है. वाके हैं ।जिसमें केवल खसरा नं. 271 रकबा 1.01 हैक्टेयर भूमि का विवाद हैं जो ग्राम मानपुर के पास वाके हैं जिसमें वादीगण व वादीगण के कुटुम्ब के मकानात बने हुये हैं इस कारण गेरमुमकिन आवादी दर्ज रिकोर्ड हैं । उक्त आराजी गांव के पास होने के कारण प्रतिवादीगण बिना किसी अधिकार के अतिकमण कर मकानात वाडे बनाकर रिहायशी उपयोग उपभोग करने की कोशिश करते रहते है इन्होने एक सामुहिक संगठन बना रखा हैं । वादीगण गरीब बीपीएल परिवार के है जिनमें से कुछ जयपुर कुछ मानपुर रहते हैं और मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते हैं । उक्त आराजीयात से प्रतिवादीगण का कोई तालुक व वास्ता नहीं है फिर भी प्रतिवादीगण ऐन केन प्रकारेण वादीगण को परेशान करते रहते है और उक्त भूमि पर निर्माण करने की फिराक में रहते है दिनांक 27.5.2016 को वादीगण ने लैण्ड होल्डर तहसीलदार बोली से पत्थर गढी व सीमाज्ञान करवाया जिससे सारी वस्तुस्थिति स्पष्ट हो गयी दिनांक 6.6.16 को सभी प्रतिवादीगण एक राय होकर उक्त आराजी पर आ गये और जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की व धमकाने लगे कि हम इस भूमि पर मकान बनावेगें। वाद कारण उत्पन्न होने पर दावा करना लाजिम आया । अनुतोष चाही कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पावन्द किया जावे कि खसरा नं. 271 रकबा 1.01 हैक्टैयर भूमि में किसी प्रकार से जबरदस्ती कब्जा करने, मकान बनाने, बाडा बनाने व अन्य कोई निर्माण करने का प्रयास नहीं करें। यदि दौराने दावा प्रतिवादीगण किसी भाग पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण करने , बाडा बनाने व पूरे भाग पर या आंशिक भाग पर कब्जा करने में कामयाब हो जावे तो वेदखल कर खाली करवाया जावें। व वादीगण को कब्जा संभलवाया जावें। वादीगण को प्रतिवादीगण से प्रतिवर्ष हुयी फसल क्षति की क्षतिपूर्ति राशि दिलवायी जावें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से श्री वी.पी.सिंह एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया लेकिन जवाव दावा पेश नहीं किया एवं दिनांक 18.11.19 को प्रतिवादीगण के विरूध्द एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गयें।

चूँकि प्रतिवादीगण की ओर से जवाव दावा पेश नहीं हुआ इस कारण तनकीयात विरचित नहीं की गयी।

साक्ष्य वादीगण पी.ड.1 प्रहलाद सिंह, पी.ड.2 भंवर सिंह, पी.ड.3 तेजसिंह पेश किये व प्रलेखीय दस्तावेजात में प्रदर्श-1 जमावंदी खाता सं. 4, प्रदर्श-2 नक्शा ट्रेस पेश किये ।

वहस वादीगण सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण ने अपने दावें में यह अभिकथन किया हैं कि - वादीगण की मुताबिक जमावंदी संवत 2069-2072 खाता संख्या 4 के अनुसार ख.नं.2.9/407 रकबा 0.03 है, 271 रकबा 1.01 है. 337 रकबा 0.05 हैक्टैयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.09 है. वाके हैं । जिसमें केवल खसरा नं. 271 रकबा 1.01 हैक्टेयर भूमि का विवाद हैं जो ग्राम मानपुर के पास वाके हैं जिसमें वादीगण व वादीगण के कुटुम्ब के मकानात बने हुये हैं इस कारण गेरमुमकिन आवादी दर्ज रिकोर्ड हैं । उक्त आराजी गांव के पास होने के

उप जिला कलेक्टर
बौली जिला सवाई माधोपुर

कारण प्रतिवादीगण बिना किसी अधिकार के अतिकमण कर मकानात बाडे बनाकर रिहायशी उपयोग उपभोग करने की कोशिश करते रहते हैं उक्त आराजीयात से प्रतिवादीगण का कोई तालुक व वास्ता नहीं हैं फिर भी प्रतिवादीगण ऐन केन प्रकारेण वादीगण को परेशान करते रहते हैं और उक्त भूमि पर निर्माण करने की फिराक में रहते हैं दिनांक 27.5.2016 को वादीगण ने लैण्ड होल्डर तहसीलदार बोली से पत्थर गढी व सीमाज्ञान करवाया जिससे सारी वस्तुस्थिति स्पष्ट हो गयी दिनांक 6.6.16 को सभी प्रतिवादीगण एक राय होकर उक्त आराजी पर आ गये और जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की व धमकाने लगे कि हम इस भूमि पर मकान बनावेगें। इस कारण दावा पेश हैं। अनुतोष चाही कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पावन्द किया जावे कि खसरा नं. 271 रकबा 1.01 हैक्टैयर भूमि में किसी प्रकार से जबरदस्ती कब्जा करने, मकान बनाने, बाडा बनाने व अन्य कोई निर्माण करने का प्रयास नहीं करें। यदि दौराने दावा प्रतिवादीगण किसी भाग पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण करने , बाडा बनाने व पूरे भाग पर या आंशिक भाग पर कब्जा करने में कामयाब हो जावे तो बेदखल कर खाली करवाया जावें। व वादीगण को कब्जा संभलवाया जावें। वादीगण को प्रतिवादीगण से प्रतिवर्ष हुयी फसल क्षति की क्षतिपूर्ति राशि दिलवायी जावें।

वादीगण की और से प्रस्तुत बयान पी.ड.1 प्रहलाद सिंह ने अपने बयान में अभिकथन किया कि उक्त आराजी खसरा नं. 271 रकबा 1.01 हैक्टेयर मेरे और मेरे भाई उम्मेद सिंह के नाम हैं उनका स्वर्गवास हो गया हैं उनके वारिस मेरे साथ वादी तेजसिंह, जगदीश सिंह, लक्ष्मीकंवर संतोषकंवर और पार्वती हैं उक्त जमीन हमारी खातेदारी की हैं जमांबंदी प्रदर्श–1 व राजस्व नक्शा प्रदर्श–2 हैं जिस पर हमारा अधिकारी हैं प्रतिवादी जगदीश, लडडू, रतिराम रत्तीराम, हरसाय, बजरंग लाल , प्रभू, रमेश, कैलाश, रामराज, जाति मीना रामेश्वर व जगदीश पुजारी हैं कजलोड जाति लुहार हैं प्रताप सिंह, बहादुर सिंह राजपूत व अन्य हनुमान सिंह, राजूसिंह, छीतर सिंह, नन्द सिंह, आदि ने कच्चे अस्थायी बाडे तारबंदी पाटोर हमारी भूमि में लगा रखे हैं उपरोक्त व्यक्तियो को हटाया जाना जरूरी हैं 2016 मे अस्थायी तारबंदी की हैं। दावा डिकी किया जावें।

साक्ष्य पी.ड.2 , पी.ड.3 ने भी अपने बयानात में अभिकथन किया कि मै वादीगण को जानता हूँ खसरा नं. 271 हैं जिसमे इनके मकान बाडे बने हुये हैं गांव के किराये पर हैं जो इनकी खातेदारी की हैं जिसमें कुछ लोग वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते हैं जिसमें जगदीश, लडडू, रत्तीराम, हरसाय, बजरंग लाल, प्रभू, रमेश, कैलाश, रामराज, रामेश्वर, जगदीश, कजोड, प्रताप सिंह हैं जो मानपुर मे रहने वाले है। कुछ लोगो ने कच्चे बाडे बना रखे हैं इनका वादीगण के खेतो से कोई तालुक व वास्ता नहीं हैं।

हमने वादीगण की और से प्रस्तुत वाद पत्र एवं प्रलेखीय दस्तावेजात, व प्रस्तुत साक्ष्य का गहन अध्ययन एवं मनन किया। वादीगण ने अपने दावें में अभिकथन किया कि वादीगण की मुताबिक जमाबंदी संवत 2069–2072 खाता संख्या 4 के अनुसार ख.नं.2.9/407 रकबा 0.03 है, 271 रकबा 1.01 है. 337 रकबा 0.05 हैक्टैयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.09 है. वाके हैं । जिसमें केवल खसरा नं. 271 रकबा 1.01 हैक्टेयर भूमि का विवाद हैं जो ग्राम मानपुर के पास वाके हैं जिसमें वादीगण व वादीगण के कुटुम्ब के मकानात बने हुये हैं इस कारण गेरमुमकिन आबादी दर्ज रिकोर्ड हैं । उक्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण जबरदस्ती कब्जा करना चाहते है।

उप जिला कलेक्टर
बौली जिला सवाई माधोपुर

दिनांक 27.5.2016 को वादीगण ने लैण्ड होल्डर तहसीलदार बौली से पत्थर गढी व सीमाज्ञान करवाया जिससे सारी वस्तुस्थिति स्पष्ट हो गयी दिनाक 6.6.16 को सभी प्रतिवादीगण एक राय होकर उक्त आराजी पर आ गये और जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की व धमकाने लगे कि हम इस भूमि पर मकान बनावेगें। इस कारण दावा पेश है। अनुतोष चाही कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि खसरा नं. 271 रकबा 1.01 हैक्टैयर भूमि मे किसी प्रकार से जबरदस्ती कब्जा करने, मकान बनाने, बाडा बनाने व अन्य कोई निर्माण करने का प्रयास नही करें। यदि दौराने दावा प्रतिवादीगण किसी भाग पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण करने , बाडा बनाने व पूरे भाग पर या आंशिक भाग पर कब्जा करने मे कामयाब हो जावे तो बेदखल कर खाली करवाया जावे। व वादीगण को कब्जा संभलवाया जावें। वादीगण को प्रतिवादीगण से प्रतिवर्ष हुयी फसल क्षति की क्षतिपूर्ति राशि दिलवायी जावें। वादीगण की ओर से अपने वाद के समर्थन मे प्रदर्श–1 जमाबंदी एवं प्रदर्श–2 राजस्व नक्शा पेश किया जिससे आराजीयात मुतनाजा खसरा नं. 271 रकबा 1.01 हैक्टेयर वाके मानपुर वादीगण की खातेदारी मे होना प्रथम दृष्टया सिध्द है। वादीगण ने अपने दावे मे प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजीयात पर मकानात, बाडे, कच्चे पक्के निर्माण बाबत आंशका दर्ज की है तथा दौराने दावा निर्माण करने पर बेदखल कर कब्जा संभलवाने का अनुतोष चाहा है। वादीगण ने अपने दावें मे यह भी अभिकथन किया है कि दिनाक 27.5.16 को उक्त आराजीयात का तहसीलदार बौली ने पत्थरगढी व सीमाज्ञान किया है ,जिससे सारी स्थिति स्पष्ट हो गयी । लेकिन उक्त दस्तावेजात पत्रावली मे पेश नही किया । जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वादीगण की उक्त आराजीयात पर किस किस ने अतिक्रमण करने की गरज से कब्जा किया हो। वादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पी.ड.1 ने भी अपने बयान मे केवल इतना ही कथन किया है कि प्रतिवादी जगदीश, लडडू, रत्तिराम रत्तीराम, हरसाय, बजरग लाल , प्रभू, रमेश, कैलाश, रामराज, जाति मीना रामेश्वर व जगदीश पुजारी हैं कजलोड जाति लुहार हैं प्रताप सिंह, बहादुर सिंह राजपूत व अन्य हनुमान सिंह, राजूसिंह, छीतर सिंह, नन्द सिंह, आदि ने कच्चे अस्थायी बाडे तारबंदी पाटोर हमारी भूमि मे लगा रखे हैं लेकिन यह स्पष्ट दर्ज नही किया कि किस प्रतिवादी ने किस जगह, किस स्थिति में किस रूप में अतिक्रमण कर उक्त आराजीयात पर कब्जा किया हैं। बेदखली के आदेश के लिए उक्त सभी तथ्य सिध्द करने का भार वादीगण पर हैं केवल मात्र यह कह देना कि प्रतिवादीगण ने बाडा, तारबंदी, लगाकर कब्जा किया हैं पर्याप्त नहीं हैं।

अतः हमारे विनम्र अभिमत में यह तथ्य सिध्द हैं कि आराजीयात मुतनाजा वादीगण की खातेदारी की आराजीयात हैं जिस पर वादीगण के कुटुम्ब के आदमी काबिज हैं व मकानात बनाकर निवास करना स्वंय स्वीकार करते हैं। जिस पर प्रतिवादीगण को माने मजाहमत व मदाखलत करने का अधिकार प्राप्त नही हैं इस कारण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से इस हेतुक पावन्द किया जाना विधि अनुरूप हैं जहां तक प्रतिवादीगण के कच्चे पक्के निर्माण को हटाने का तथ्य हैं वादीगण ने अपने दावें में इस तरह का एक शब्द भी दर्ज नहीं किया कि किस प्रतिवादी ने किस रूप में यथा मकान या बाडे या अन्य तरह से अतिक्रमण कर काबिज हुआ हैं जिसे हटाया जाना हैं, ना हीं लोकेशन दर्ज की हैं और ना हीं कोई नजरी नक्शा पेश किया हैं जिससे यह सिध्द हो सके कि किस प्रतिवादी ने किस रूप में वादीगण की खातेदारी की उक्त आराजी पर काबिज हुआ हैं। ना हीं साक्ष्य में

बौंली जिला सवाई माधोपुर

उक्त तथ्य सिध्द हैं और ना ही ऐसा कोई प्रलेखीय दस्तावेज पेश किया हैं। इस कारण वादीगण को बेदखली बाबत अनुतोष दिया जाना मुमकिन नहीं हैं।

आदेश

उक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में वादीगण का दावा विरूध्द प्रतिवादीगण आंशिक रूप से निम्न प्रकार डिकी किया जाता हैं:—

1. प्रतिवादी सं. 1 ल. 13 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय के लिये पाबन्द किया जाता हैं कि वादीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नं. 271 रकबा 1.01 हैक्टैयर वाके ग्राम मानपुर तहसील मित्रपुरा में वादीगण के कब्जे काश्त, उपयोग एवं उपभोग में बाधा नहीं डालें, तथा किसी तरह के कच्चे पक्के निर्माण, बाडा बनाकर, तारबंदी कर या अन्य तरह से अतिक्रमण नहीं करें।

तदानुसार डिकी जारी हो ।

(बद्री नारायण मीना)
उप जिला कलेक्टर
बौली, जिला स.मा.

निर्णय आज दिनांक 6.6.22 को निवृत न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित एवं उच्चारित किया गया।

उप जिला कलेक्टर
बौली, जिला स.मा.